

मोबाइल शोरूम पर चोरों का धावा, एक घंटे में सवा करोड़ के मोबाइल चोरी

चोरों ने चौकीदार को बेसमेंट में बंद किया, सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद हो गई

अजमेर, (कास)। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र के वैशाली नगर में सैमसंग मोबाइल शोरूम पर चोरों का धावा बोल दिया। चोर करीब एक घंटे में एक करोड़ से अधिक के कीमती मोबाइल व एसेसरीज चोरी की फरार हो गए। कार में आए तीन लुटेरों ने बेसमेंट में सो रहे चौकीदार को बंद किया और शोरूम में घुसकर वारदात अंजाम दी। चोर शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर भी चुरा ले गए। बेसमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरों की यह वारदात कैद हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची क्रिश्चियन गंज थाना पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके का मुआयना कर जांच शुरू कर दी है।



सीसीटीवी फुटेज में तीन युवक प्लास्टिक के बैग में मोबाइल भरकर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

चौकीदार को बेसमेंट में किया बंद :- फॉयसागर रोड निवासी आशीष जैन ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि मोबाइल का शोरूम तीन दोस्तों ने पार्टनरशिप में तीन माह पहले ही खोला था। बीती रात 12 बजे के करीब वह अपने दो दोस्तों के साथ शोरूम बंद करके घर

गए थे। कुछ देर बाद ही चोर शोरूम के बाहर पहुंचे और पहले रेकी की, फिर बेसमेंट में सो रहे चौकीदार को बाहर से बंद कर दिया और शोरूम

का शटर तोड़कर अंदर घुसे चोरों ने थैलियों में कीमती मोबाइल फोन व अन्य कीमती सामान भरकर चोरी कर गाड़ी में बैठ कर फरार हो गए।

मंगलवार सुबह जब चौकीदार ने शोरूम के ताले टूटे देखे तो उसने मालिक को सूचना दी। इसके बाद पुलिस को मामले की

चोर शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर भी चुरा ले गए, पुलिस ने जांच शुरू की

जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की। शोरूम के मालिक आशीष जैन के अनुसार, चोरी गए मोबाइल और अन्य सामान की सही कीमत चेक करने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी, लेकिन शुरुआती अनुमान के मुताबिक, यह रकम सवा करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है।

सीसीटीवी फुटेज कैद वारदात :- चोरों की यह कारस्थानी बेसमेंट में लगे कैमरों में कैद हो गई। फुटेज में तीन युवक प्लास्टिक के बैग में मोबाइल भरकर अपने साथ ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने शोरूम सहित आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज जांच के आधार पर चोरों की आने-जाने की पहचान करने में जुट गई है।

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई

विशिष्ट लोक अभियोजक ने 62 दस्तावेज और 26 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कराये

भीलवाड़ा, (निसं)। विशिष्ट न्यायाधीश (पॉक्सो एक) देवेन्द्रसिंह नगर ने पन्द्रह साल की नाबालिग लड़की से गैरपेश के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा और 90 हजार के जुर्माने से दंडित किया है। आरोपित के दो नाबालिग साथियों के खिलाफ बाल न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है।



दुष्कर्म का आरोपी

प्रकरण के अनुसार, एक परिवार ने 20 मार्च 2023 को रायला थाने में रिपोर्ट पेश की थी कि 18 मार्च को उसकी 15 साल की नाबालिग बेटी शौच के लिए घर से बाहर गई थी। वह काफी देर बाद भी नहीं लौटी। इसके चलते बेटी की तलाश की तो कहीं पता नहीं चला। अगले दिन सुबह चार बजे किसी परिचित का फोन आने पर पता चला कि उसकी पुत्री को पास के गांव के स्कूल में बंधक बनाकर रखा है। इस पर परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

वहां जाकर पुत्री को लेकर आया। वापस आने पर उसकी पुत्री ने बताया कि जब वह शौच करने गई तब दो लड़के जबरन उसे बाइक पर बैठाकर नदी की तरफ ले गये। जहां जबरन उसके साथ रेप किया। इसके बाद उन्होंने अपने एक

अन्य साथी को बुलाया। उसने भी नाबालिग के साथ रेप किया। इन आरोपितों ने नाबालिग को स्कूल में ले जाकर बांध दिया।

इस रिपोर्ट पर पुलिस ने केस दर्ज कर दो बाल अपचारियों को डिटेन कर एक आरोपित को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक आरोपित राजू पुत्र गोपाल कुमावत के खिलाफ न्यायालय में गैरपेश के आरोप में चार्जशीट पेश की। न्यायालय में ट्रायल के दौरान इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने 62 दस्तावेज और 26 गवाह पेश कर राजू पर लगे आरोप सिद्ध कराये। न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपित राजू कुमावत को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 90 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

12वीं के स्वयंपाठी विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं 15 से

सीबीएसई ने गाइडलाइन जारी की, आगामी 15 मार्च तक चलेंगी प्रायोगिक परीक्षाएं

अजमेर, (कास)। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं के प्राइवेट विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं 15 फरवरी से 15 मार्च तक आयोजित होंगी। बोर्ड ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक डॉ. संयम भारद्वाज ने बताया कि प्रायोगिक परीक्षाएं सैद्धांतिक परीक्षाओं के लिए निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय परीक्षाओं के लिए बाहरी परीक्षकों की नियुक्ति करेंगे। आंतरिक परीक्षकों की

नियुक्ति केंद्राधीक्षक द्वारा अपने स्कूल के शिक्षकों में से की जाएगी। यदि आंतरिक परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए किसी विषय में परीक्षा केंद्र स्कूल में शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, तो नजदीकी स्कूलों के शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से प्रैक्टिकल आंसर बुक्स की आपूर्ति की जाएगी। परीक्षाओं के बाद केंद्र उन विद्यार्थियों के अंक अपलोड करेंगे। परीक्षार्थियों को अपनी पिछली मार्कशीट तथा

वर्तमान परीक्षा प्रवेश पत्र की प्रति के साथ अपने परीक्षा केंद्रों से संपर्क करना होगा। परीक्षा केंद्राधीक्षक उन सभी छात्रों की सूची कक्षावार तथा विषयवार तैयार करेंगे, जिनकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं। इधर बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय प्रायोगिक परीक्षाओं का समय पर पूरा होना, अंक अपलोड तथा प्रायोगिक उत्तर पुस्तिकाओं का क्षेत्रीय कार्यालय में प्राप्त होना सुनिश्चित करेंगे।

किशोरी से दुष्कर्म, प्रसव में नवजात की मौत

अज्ञात युवक पर मुकदमा दर्ज हुआ

वहां उसका 9 फरवरी को प्रसव करवाया गया। लालगढ़ जाटान थानाधिकारी संजय सिंह मामले की जांच कर रहे हैं। पीड़िता ने पुलिस को दिए पचास बयानों में एक अज्ञात युवक पर दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। इसके बाद लालगढ़ जाटान पुलिस ने अज्ञात युवक पर दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है।

पीड़ित किशोरी को 8 फरवरी को एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।

विवाहिता का शव कुएं में तैरता मिला

महिला सोमवार से घर से लापता थी, परिजन तलाश कर रहे थे

महिला का विवाह साढ़े तीन वर्ष पूर्व हुआ था

मृतक महिला फोरेंसि देवी पत्नी रामावतार मीणा निवासी बिछोड़ जो कि सोमवार से ही घर से लापता थी जिसकी परिजन तलाश कर रहे थे। महिला का विवाह साढ़े तीन वर्ष पूर्व हुआ था एवं उसका पति रामावतार मीणा जयपुर में प्राइवेट कंपनी में काम करता है। बाटोदा थाना प्रभारी यशपाल सिंह ने बताया कि इस मामले को लेकर मृतका फोरेंसि के भाई रामावतार मीणा निवासी रानुपुरा थाना सपोटार ने मामला दर्ज कराया है। शव पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द कर जांच शुरू कर दी गई है।

रामसिंहपुरा चौकी प्रभारी किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि कुएं में महिला के शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंचे। तहकीकात करने पर

जिस तरह परिवार में मतभेद हो जाते हैं, उसी तरह पार्टी में भी हो जाते हैं : खर्वा

पाली, (नि.सं.)। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग मंत्री झाबरसिंह खर्वा ने कहा कि पार्टी में अनुशासन जरूरी है। जिस तरह परिवार में कई बार मतभेद होते जाते हैं, उसी तरह पार्टी में भी हो जाते हैं। यह पार्टी का निजी मामला है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जवाब दे देंगे, उनका जवाब संतोषजनक होगा तो ठीक है, वरना पार्टी प्रदेशाध्यक्ष आगे की कार्रवाई करेंगे। मंत्री झाबरसिंह खर्वा ने मंगलवार को पाली के सर्किट हाउस में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठीड़ द्वारा मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को अनुशासन हीनता के मामले में भेजे गए नोटिस से जुड़े सवाल पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि वे मंत्री मीणाजी से मिलेंगे, उनके मन में क्या है, बैठकर बताकर, उन्हें समझा लेंगे।



नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग मंत्री झाबरसिंह खर्वा ने अधिकारियों के साथ चर्चा की।

हुए टाउन हॉल का जीर्णोद्धार करवाने, बंद पड़े सालिड वेस्ट प्लांट को जल्द शुरू करवाने, शहर में घूम रहे डॉग्स को पकड़ने के लिए कोई आसान तरीका निकालने का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर मंत्री खर्वा ने जिलास्तरीय अधिकारियों की करीब दो घंटे से ज्यादा समय तक बैठक ली। मंत्री खर्वा ने बताया कि बैठक में मोटे तौर पर कुछ मुद्दों पर चर्चा की गई। जिसमें पाली को लेकर की गई बजट घोषणा की प्रगति के बारे में अधिकारियों से पूछा गया। इसके साथ ही राइजिंग राजस्थान में पाली जिले को लेकर निवेशकों से जो प्रस्ताव मिले थे, उनकी प्रगति को लेकर जानकारी ली। शहर की जनता की

शिकायतों को समयबद्ध अवधि में समाधान हो रहा है या नहीं, के अलावा शहर की सीवरेज और सफाई व्यवस्था में सुधार पर चर्चा की गई। साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना में जिन लोगों के मकान खुले हैं, उन्हें आवंटित करने और शेष कार्य को पूरा करवाने पर चर्चा की गई।

इस पर उन्होंने कहा कि सीवर लाइन की सफाई का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। संभवतः अगले एक महीने बाद स्थितियों में काफी सुधार होगा। एडवोकेट मगराज सोनी ने पाली को संभाग यथावत बनाए रखने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा और पिछले एक महीने से भी ज्यादा चल रहे धरने के बारे में बताया। इसके साथ ही मंत्री खर्वा ने ज्ञापन सौंपे। मंत्री खर्वा को पाली विधायक भीमराज भाटी ने पाली-सोजत बाइपास

‘मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जवाब दे देंगे, उनका जवाब संतोषजनक होगा तो ठीक है, वरना पार्टी प्रदेशाध्यक्ष आगे की कार्रवाई करेंगे’

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठीड़ द्वारा मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को अनुशासन हीनता के मामले में भेजे गए नोटिस से जुड़े सवाल पर खर्वा ने यह बात कही

बनाने को लेकर स्वीकृत किए गए प्रोजेक्ट के अधूरे पड़े होने की बात बताते हुए इसे पूरा करवाने की बात कही। उन्होंने कहा कि महज 8.2 का यह बाइपास है। इसके बनने से पाली शहर, खेतावास, भालेलाव, निम्बाड़ा, बागड़िया, बल्लों की ढाणी, सरदारों की ढाणी क्षेत्र के लोगों को भी फायदा होगा और सफर भी आसान होगा। लेकिन सालों बाद भी यह प्रोजेक्ट स्वीकृति के बाद भी पूरा नहीं हो सका है।

उदयपुर, (निसं)। राजस्थान आबकारी एवं मध्यसंयम नीति वर्ष 2025-29 के तहत आबकारी विभाग द्वारा मदिरा दुकानों का बंदोबस्त पारदर्शिता व सरलीकृत व्यवस्था के साथ किया जा रहा है।

प्रदेश में आबकारी विभाग द्वारा मदिरा दुकानों के नवीनीकरण की प्रक्रिया जारी है अब तक 72 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। अनुज्ञाधारियों के विश्वास व उत्साह के मद्देनजर पुरानी मदिरा दुकानों के लिए नवीनीकरण की अंतिम तिथि 12 फरवरी तक संभवतया 90 प्रतिशत से

चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के हमीरगढ़ थाना क्षेत्र स्थित चामुंडा माता मंदिर को देर रात चोरों ने बनाया निशाना। मंदिर से सोने-चांदी के जेवरत सहित लाखों रुपए नगदी चोरी हो गई। वहीं सीसीटीवी कैमरे तोड़ कर चोर फरार हो गये।

जानकारी के अनुसार हमीरगढ़ कस्बे में स्थित चामुंडा माता मंदिर के बीती देर रात अज्ञात चोरों ने लाखों की चोरी को अंजाम दिया। अलसुबह मंदिर

सीसीटीवी कैमरे तोड़ कर फरार हो गये चोर, पुलिस ने मौके पर जाकर जांच शुरू की

के पुजारी को पता चलने पर पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एफ एस एल टीम ने सबूत जुटाकर चोरों की तलाश शुरू की। ग्रामीणों को जब चोरी की सूचना मिली तो सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस की लचक गश्त व्यवस्था और क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया।

अंतिम दिन 90 प्रतिशत से अधिक नवीनीकरण की संभावना

अधिक नवीनीकरण कर लिया जाएगा। आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते के अनुसार राजस्थान आबकारी एवं मध्यसंयम नीति वर्ष 2025-29 के तहत पुरानी मदिरा दुकानों के नवीनीकरण की प्रक्रिया के तहत अनुज्ञाधारियों में खासा उत्साह है। प्रदेश में 7665 मदिरा दुकानों में से अब तक

14 लाख की स्मैक सहित एक आरोपी गिरफ्तार

टोंक, (निसं)। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में चलाये जा रहे अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध जारी अभियान के तहत टोंक वृत्ताधिकारी राजेश विद्यार्थी एवं थानाधिकारी मेहनदास ओमप्रकाश तथा डीएसएटी टीम ने दौरान गश्त मेहनदास थाना क्षेत्र के एक बालक को संदिग्ध अवस्था में जाकर देखा। जिसको रोककर पूछताछ करने पर उसके कब्जे से 71.03 ग्राम स्मैक मिली, जिसकी बाजार कीमत लगभग 14 लाख 20 हजार रूपये बताई गई है। आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर अनुसंधान जारी है।

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

ई-निविदा सूचना 01/2025

इस विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार के Equipments/Chemicals/Glasswares and Plasticwares/Miscellaneous items क्रय करने के लिए सालाना ढर अनुबन्ध हेतु मूल निर्माण कार्य से प्रस्ताव आमंत्रित है। I NB code SKA2425A0090 एवं UBN is SKA2425GLRC00125. SKA2425GLRC00126, SKA2425GLRC00127 विस्तृत विवरण वेबसाईट www.raubikaner.org, www.sppp.rajasthan.gov.in एवं www.eproc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

क्रमांक अ.अ./जन स्वा./सौ/निविदा/2024-25/1658 दिनांक-03.02.2025

ई-निविदा सूचना संख्या-20/2024-25

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से खण्ड सांचौर के अधीन विभिन्न कार्य करने हेतु लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है जिसका विवरण निम्नानुसार है-

कार्यालय का नाम व स्थान	अधिसूचना अभियान, जन स्वा. अभि. विभाग खण्ड सांचौर
निविदा का कार्य	Construction And Commissioning of All Type of Tube Wells (Bhimguda, Choura, Daba, Jhab, Nimba) in M/LA Constituency Sanchoer Under CM budget Announcement 2024-25. Providing, Laying and Joining of HDPE pipeline of various sizes
निविदा की कुल लागत (पंजीकृत) (रु. लाखों में)	कुल निविदा 02 रु. 86.50 लाख
निविदा प्रपत्र वेबसाईट पर उपलब्ध एवं ऑन लाईन सबमिट की दिनांक	03.02.2025 से 18.02.2025 को 13.00 बजे तक
निविदाए खोलने की तिथि व समय	18.02.2025 को 16.00 बजे से
UBN NO.:	PHE2425WS0809102, PHE2425WS0809103

निविदा से संबंधित समस्त विवरण वेबसाईट <http://sppp.rajasthan.gov.in> एवं <http://dipr.rajasthan.gov.in>, <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर देखा एवं धरा जा सकता है। शुद्धि पत्र केवल वेबसाईट पर ही उपलब्ध किये जायेंगे।

(पृथ्वीसिंह) अधिसूचना अभियान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, खण्ड सांचौर

DI/PR/C/1570/2025